

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY , अंघेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096

टेली / Tel : 022-28294790

ई-मेल /E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in



फ़ाइल संख्याः ई-ओपीटी-12/19/2022-ईओ //2004

दिनांक: 20.07.2022

परिपत्र संख्या: 2.0....

आपको सूचित किया जाता है कि IIT वॉम्बे ने अपनी रिपोर्ट में सेक्टर -7 (सीप्ज़-सेज़ के स्टाफ क्वार्टर) में इमारतों की संरचनात्मक स्थिति पर निम्नलिखित मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला है।

A और B टाइप बिल्डिंगों के बारे में आईआईटी बॉम्बे (2015) की रिपोर्ट:

- A) सीप्ज़ स्टाफ कॉलोनी, अंधेरी (पू), मुंबई की विलिंडग संख्या- A1, A2, A3, B1, B2, B3 के बारे में बताया है कि वर्तमान में ये इमारतें गंभीर रूप से खतरनाक अवस्था में हैं।
- B) वर्तमान में ये इमारतें रहने के लिए खतरनाक हैं।
- C) IIT बॉम्बे ने इमारतों को खाली करने की सिफारिश की।

वर्तमान में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण उक्त इमारतों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष मरम्मत के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन तब तक इन इमारतों को रहने के लिए 'सुरक्षित नहीं' माना जाएगा।

इस नोटिस द्वारा सभी निवासियों को औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है कि सीप्ज़ -सेज़ प्रशासन उक्त इमारतों की संरचनात्मक कमजोरी के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा जब तक कि विशेष मरम्मत पूरी नहीं हो जाती और सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरचनात्मक रूप से सुरक्षित प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।

तब तक, उस समय तक उक्त आवंटित बिलिंडगों में रहने वाले प्रत्येक निवासी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवंटी और उसके परिवार के सदस्य और ऐसे सभी निवासी जो स्वेच्छा से रह रहे /रही हैं और सीप्ज़-सेज़ प्रशासन इन इमारतों की संरचनाओं की विशेष मरम्मत और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तथापि, ऐसे समय तक सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण या उसका कोई अधिकारी उक्त इमारतों की संरचनात्मक अखंडता में किमयों के कारण होने वाली किसी भी प्राकृतिक घटना /दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे विशेष मरम्मत के लिए खाली करने / सीप्ज़-सेज़ प्रशासन को सहयोग करने के लिए कदम उठाएं या इसका उल्लंघन करने की स्थिति में उक्त परिसर में स्वेच्छा से अपने जोखिम पर रहें। ऐसी स्थिति में निवासी की जान और सुरक्षा के जोखिम के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से एकमात्र आवंटी की होगी।

Signed by Bridget Joe Date: 20-07-2022 13:26:48

Reason: Approved सम्पदा प्रविधक/वि आ का स

सीप्ज-सेज,प्राधिकरण

File No.E-OPT-12/19/2022-EO

प्रति, सीप्ज़ स्टाफ क्वार्टर कॉम्प्लेक्स के A और B टाइप बिल्डिंग के सभी निवासियों को

प्रतिलिपि: विआका/संविआका



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096

टेली / Tel : 022-28294790

ई-मेल /E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in

File No:E-OPT-12/19/2022-EO/12004.

Date:20.07.2022

Circular No: 20

It is hereby informed that the IIT Bombay has submitted following main aspects on structural condition of the buildings in Sector-7 (Staff Quarter of SEEPZ-SEZ)

A & B type building Report from IIT Bombay (2015):

- a. Building A1, A2, A3,B1, B2, B3 of SEEPZ Staff Colony, Andheri (E), Mumbai indicated that the buildings are currently in a distressed condition of critical nature.
- b. These buildings remain dangerous for occupation at present.
- c. The IIT Bombay recommended evacuation from the building.

Presently the SEEPZ-SEZ Authority is taking steps for special repairs for structural strengthening of the said buildings however until then these buildings are to be treated as "NOT SAFE" for habitation.

This notice is in the nature of a formal intimation to all residents that the SEEPZ-SEZ administration will not take any responsibility for any mishap occurring due to the structural weakness of the said buildings until such time that the special repairs are completed and the structural safety certified by Competent Authority.

Till such time every resident allotted accommodation in the said buildings is hereby notified that the allottee and his / her member of family & all such occupants are residing on their own voluntary will and the SEEPZ-SEZ administration shall make every effort for the special repairs & structural strengthening of the structures of these building. However till such time SEEPZ-SEZ Authority or any of its officials shall not be liable for any natural incident / mishap occurring due to the shortcomings in the structural integrity of the said buildings. All occupants are requested to take steps to Vacate / Cooperate with SEEPZ-SEZ Administration for the special repair or stay at the said premises on their own violation voluntarily for which the risk of Occupancy, life, safety shall not be incumbent the SEEPZ-SEZ Authority

File No.E-OPT-12/19/2022-EO

and shall be the sole responsibility of sole personal allottee.

Signed by Bridget Joe Date: 20-07-2022 13:23:07

Reason: Approved

Estate Manager/ EA to DC, SEEPZ-SEZ Authority.

To,

1) All residents of A & B type SEEPZ Staff Quarter Complex.

2) Copy to: DCO/JDCO